

थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत जनसेवा केन्द्र की चोरी का पर्दाफाश, चोरी

के 03 लाख 70 हजार रुपये व मोटरसाइकिल सहित 02 शातिर चोर अवैध

तमंचे मय कारतूस गिरफ्तार ।

दिनांक 17.02.2021 को श्री उरुज हैदर पुत्र श्री नबाब हैदर निवासी ग्राम पित्तनहेडी जिया थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर द्वारा थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी कि वह कोतवाली देहात स्थित मैन तिराहे पर जन सेवा केन्द्र चलाता है । दिनांक 16/17.02.2021 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा दुकान में नकब लगाकर नगदी, पर्स, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस आदि चोरी कर लिये है । तहरीर के आधार थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 36/21 धारा 457/380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।

मेरे द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुये शीघ्र अनावरण हेतु स्वाट टीम व थाना कोतवाली देहात पुलिस को निर्देशित किया गया । जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नगीना के कुशल पर्यवेक्षण में स्वाट टीम व थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा दिनांक 31.03.2021 को प्रातः 07.15 बजे मुखबिर की सूचना पर घटना में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1- नौशाद पुत्र कमरुद्दीन 2- ऐजाज पुत्र शरीफ निवासीगण आलेअलीपुर उर्फ किरतपुर थाना नगीना जनपद बिजनौर को नगीना रोड स्थित जमजम ढाबे पर अवैध तमंचो , नगदी तथा चोरी की मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया । जिसके संबंध में मु0अ0सं0 68/21 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम बनाम नौशाद व मु0अ0सं0 69/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 बनाम ऐजाज उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।

अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ में बताया कि वह काफी समय से बंद मकानों में चोरी आदि की घटना कारित करते है तथा पैसों को आपस में बांट लेते है । हम लोगों की जानकारी में आया कि नहटौर तिराहे पर ब्लाक कोतवाली देहात के सामने जन सेवा केन्द्र / मनी ट्रान्सफर पर काफी रूपयों का लेनदेन रहता है, क्यों न यहाँ पर चोरी कि जाये । तभी योजनाबद्ध तरीके से दिनांक 16/17.2.2021 की रात्रि में कोतवाली क्षेत्र में शादियों में बज रहे डीजे/बैण्ड बाजे के शोर शराबे का फायदा उठाकर जन सेवा केन्द्र मनी ट्रान्सफर की दुकान में कुम्बल लगाकर दुकान में रखे करीब 06 लाख 50 हजार रुपये व एक पर्स में रखे 54 हजार रुपये व एक डीएल तथा आधार कार्ड आदि चोरी कर मोटरसाइकिल से अपने गांव की तरफ भाग गये थे । पकडे जाने के डर से बैग व पर्स गंगा बैराज में फेंक दिया और चोरी के रूपयो को हम दोनो ने आपस में बराबर बराबर बांट लिया । हमारे द्वारा प्रयोग में लायी जा रही मोटर साइकिल हमने करीब दो महीने पहले फुलसन्दा बैंक कोतवाली देहात से चोरी की थी । अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी है तथा इनके विरुद्ध HS व गैंग पंजीकरण की कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. नौशाद पुत्र कमरुद्दीन निवासी ग्राम आलेअलीपुर उर्फ किरतपुर थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
2. ऐजाज पुत्र शरीफ अहमद निवासी ग्राम आलेअलीपुर उर्फ किरतपुर थाना नगीना जनपद बिजनौर ।



बरामदगी का विवरण:-

- 1) 03 लाख 70 हजार रुपये नगद ।
- 2) 01 तमंचा 12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर ।
- 3) 01 तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर ।
- 4) मोटर साइकिल सुपर स्पैलेन्डर नं0 UP20BD2779 (संबंधित मु0अ0सं0 94/21 थाना नहतौर)

आपराधिक इतिहास अभियुक्त नौशाद -

1. मु0अ0सं0 442/2015 धारा 419/420/467/468/471 भादवि - थाना नगीना, बिजनौर ।
2. मु0अ0सं0 72/2017 धारा 420/467/468/471 भादवि - थाना शेरकोट, बिजनौर ।
3. मु0अ0सं0 283/2017 धारा 379/411/420 भादवि - थाना नगीना, बिजनौर ।
4. मु0अ0सं0 553/2017 धारा 379/411 भादवि - थाना धामपुर, बिजनौर ।
5. मु0अ0सं0 613/2017 धारा 323/498ए/363 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट - थाना नगीना, बिजनौर ।
6. मु0अ0सं0 635/2017 धारा 380/411 भादवि - थाना नगीना, बिजनौर ।

7. मु0अ0सं0 636/2017 धारा 380/411 भादवि - थाना नगीना, बिजनौर ।
8. मु0अ0सं0 638/2017 धारा 380/411 भादवि - थाना नगीना, बिजनौर ।
9. मु0अ0सं0 911/2017 धारा 25 शस्त्र अधिनियम - थाना चांदपुर, बिजनौर ।
10. मु0अ0सं0 36/2021 धारा 457/380/411/414 भादवि - थाना कोतवाली देहात, बिजनौर ।
11. मु0अ0सं0 68/2021 धारा 3/25 आर्मस एक्ट - थाना कोतवाली देहात, बिजनौर ।
12. मु0अ0सं0 94/2021 धारा 379 भादवि - थाना नहतौर, बिजनौर ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त ऐजाज –

1. मु0अ0सं0 36/2021 धारा 457/380/411/414 भादवि - थाना कोतवाली देहात, बिजनौर ।
2. मु0अ0सं0 69/2021 धारा 3/25 आर्मस एक्ट - थाना कोतवाली देहात, बिजनौर ।
3. मु0अ0सं0 94/2021 धारा 379 भादवि - थाना नहतौर, बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

स्वाट टीम:- निरीक्षक श्री राजकुमार शर्मा, उ0नि0 संजय कुमार, हे0का0 राजकुमार नागर, का0 खालिद, का0 मोहित शर्मा, का0 रईस अहमद, का0 रणजीत मलिक, का0 सुनित, का0 मोहित कुमार, का0 गौरव तोमर, का0 अरुण कुमार, का0 विकास बैसला स्वाट टीम जनपद बिजनौर ।

थाना पुलिस टीम:- प्रभारी निरीक्षक श्री लव सिरोही, अपराध निरीक्षक श्री वली मोहम्मद, उ0नि0 मियांजान खां, उ0नि0 संजीव कुमार, का0 नवीन कुमार, का0 आकाश धामा, का0 रवि कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ।

टीम के उत्साहवर्धन हेतु पुरस्कार राशि:-.....5000/-

प्रेस नोट (थाना को0शहर)

थाना को0शहर पुलिस द्वारा हत्या का अनावरण, 03 अभि0 गिरफ्तार ।

दिनांक 27-03-2021 को थाना कोतवाली शहर बिजनौर पर श्रीमती रचना पत्नी विष्णु निवासी ग्राम नवलपुर बैराज थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर के द्वारा 23.03.201 से उसके पति विष्णु के गुम होने के सम्बन्ध में थाना को0शहर पर गुमशुदगी अंकित करायी गयी। दिनांक 30-03-2021 को गुमशुदा विष्णु के परिजनों द्वारा अपनी बहू रचना व गाँव के ही किरनपाल द्वारा विष्णु उपरोक्त को गुम करना बताया गया। पुलिस द्वारा जांच के दौरान सर्विलांस के माध्यम से किरनपाल व रचना के मध्य लगातार वार्ता की पुष्टि हुई व विष्णु की मां द्वारा भी किरनपाल पर शक होना बताया। किरनपाल उपरोक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की गयी, तो विष्णु उपरोक्त का शव गंदा नाला सैफन निकट गंगा बैराज से बरामद किया गया। प्रकरण के सम्बन्ध में विष्णु की माता श्रीमती क्लोश पत्नी कृपाल सिंह की तहरीर पर थाना को0शहर पर मु0अ0सं0 200/2021 धारा 302/201/120बी/34 भा0दं0वि0 बनाम 1-रचना पत्नी विष्णु, 2-किरनपाल पुत्र हरपाल सिंह 3-अजय पुत्र श्योपाल निवासीगण ग्राम नवलपुर बैराज थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर पंजीकृत कर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त किरनपाल द्वारा पूछताछ में बताया कि कुछ वर्ष पूर्व उसकी पत्नी की मृत्यु हो गयी थी। इसके उपरान्त किरनपाल की नजदीकी व अंतरगंता विष्णु की पत्नी रचना से हो गयी। नजदीकी की जानकारी जब विष्णु को हुई तो वह अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने लगा तथा मिलने से भी रोकने लगा। रचना से मिलने में लगातार बाधा बनने के कारण उसने अपने दोस्त

अजय से इस बारे में वार्ता की तथा रचना से कहा कि अपने पति को लेकर गंगा बैराज के किनारे किसी काम के बहाने मिलने के लिए भेज देना। योजनाबद्ध तरीके से रचना ने दिनांक 23-03-2021 को अपने पति विष्णु को गंगा बैराज पर भेज दिया, जहां पर पहले से किरनपाल अपने दोस्त अजय के साथ मौजूद था दोनों ने विष्णु को बातों में लगाकर उसके गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी तथा शव को गंगा के किनारे गडढा खोदकर जमीन में दबा दिया। मृतक विष्णु व आरोपी किरनपाल के पिता सगे भाई हैं तथा वह भी आपस में सगे चचेरे-तहेरे भाई हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- 1-किरनपाल पुत्र हरपाल सिंह नि० ग्राम नवलपुर बैराज थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनोर।
- 2-अजय पुत्र श्योपाल नि० ग्राम नवलपुर बैराज थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनोर
- 3-रचना पत्नी विष्णु नि० ग्राम नवलपुर बैराज थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनोर।



अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने वाले अधिकारी/कर्मचारीगण के नाम-

- 1-श्री राधेश्याम प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली शहर
- 2-उ०नि० श्री मनोज कुमार
- 3-उ०नि० श्री दीपक कुमार
- 4-कां० 1740 लोकेन्द्र
- 5-कां० 624 सन्नीराज
- 6-म०कां० 1770 सोनिया शर्मा
- 7-म०कां० 1438 यासमीन
- 8-कां०चालक राजीव कुमार

टीम के उत्साहवर्धन हेतु पुरस्कार राशि 5,000/-

थाना स्योहारा:- आज दिनांक 31.03.2021 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा थाना स्योहारा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 175/21 धारा 307/323/326 भादवि0 के वांछित अभि0 लक्ष्मण सिंह पुलिस खान सिंह निवासी मंडोरी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया।



थाना चॉदपुर:- आज दिनांक 31.03.2021 को थाना चॉदपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 195/21 धारा 147/148/149/307/506 भादवि0 के वांछित अभि0 अमित पुत्र सोमपाल निवासी ग्राम भोगपुर थाना चॉदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया।



थाना स्योहारा:- आज दिनांक 31.03.2021 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में अभिगण 1-अमर सिंह पुत्र जग्गन सिंह निवासी ग्राम बहलोलपुर थाना स्योहारा, 2- मोहम्मद खालिद पुत्र लियाकत अली, 3-इसरार पुत्र मोहम्मद यूसुफ, 4-शहाबुद्दीन पुत्र अब्दुल कयूम स्योहारा 5-इरफान पुत्र अंसार अहमद निवासीगण बुढ़नपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया।



दिनांक 31.03.2021



आज दिनांक 31.03.2021 को जनपदीय प्रभारी एण्टी रोमियों टीम द्वारा नगर बिजनौर में बाजार/भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाकर उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये चलाये जा रहे विशेष अभियान "मिशन शक्ति" के अन्तर्गत छात्राओं/महिलाओं को जागरूक किया तथा हैल्पलाईन नंबर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया।





आज दिनांक 31.03.2021 को थाना नूरपुर पर गठित एण्टी रोमियों टीम द्वारा बस स्टैण्ड/बाजार/भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाकर उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये चलाये जा रहे विशेष अभियान "मिशन शक्ति" के अन्तर्गत छात्राओं/महिलाओं को जागरूक किया तथा हैल्पलाईन नंबर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया।



